

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 502]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2014—कार्तिक 7, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. डी.-15-29-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उपधारा (1) का खण्ड (चार) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, जनहित में इस विभाग की अधिसूचना क्र/डी-15-6-2013-चौदह-3 दिनांक 29 अगस्त 2013 से कृषि उपज मंडी समिति सनावद के “उक्त प्रांगण क्षेत्र” के वर्णित कुल 0.16 एकड़ को छोड़कर खसरा नंबर 143/4, रकबा 3.42 एकड़ को “उक्त मंडी” के “उक्त प्रांगण क्षेत्र” से वातिल (डी-नोटीफाई) करने के आशय को संज्ञापित किया था।

अतः, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, कृषि उपज मंडी समिति, सनावद के “उक्त प्रांगण क्षेत्र” के वर्णित कुल 0.16 एकड़ को छोड़कर खसरा नंबर 143/4 रकबा 3.42 एकड़ को “उक्त मंडी” के “उक्त प्रांगण क्षेत्र” से वातिल (डी-नोटीफाई) करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2014

क्र. डी.-15-29-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

Bhopal, the 29th October 2014

No.D-15-29-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-6-2013-XIV-3, dated 29th August 2013 issued under section (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to alter the "said market yard" by de-notifying the area of khasra No. 143/4 area of 3.42 acre retaining as detailed above an area of 0.16 acre from the total notified area of 3.58 acre.

Now, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby Declared the "said market yard" by de-notifying the area of khasra No. 143/4 area of 3.42 acre retaining as detailed above an area of 0.16 acre from the total notified area of 3.58 acre.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.